मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2017

क्रमांक/एफ 15–05/2017/10–2 : राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक–एफ 15–24/2006/10–2, दिनांक 03.08.2006 में आंशिक संशोधन करते हुए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5(2) के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों की सूची के क्रमांक–23 पर अंकित वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50(8) की शक्तियों/दायित्वों को प्रत्यायोजित अधिकारियों कि की सूची में टाइगर स्ट्राइक फोर्स में पदस्थ समस्त सहायक वन संरक्षकों को जोड़ते हुए, धारा 50(08) की शक्तियों/दायित्वों को उनके प्रभार क्षेत्र में उपयोग करने हेतु अधिकृत करता है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा समस्त सहायक वन संरक्षकों को, जो टाइगर स्ट्राइक फोर्स में पदस्थ हो, तथा जिन्होंन फारेस्ट कोड की धारा 40 में निर्धारित वन विधि की परीक्षा पास कर ली हो, भारतीय वन अधिनियम, 1972 की धारा 72 के अंतर्गत समस्त अधिकार, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक–एफ 15–36/2007/10–2, दिनांक 12.12.2008 में निर्धारित उनके प्रभाग क्षेत्र में उपयोग करने हेतु अधिकृत करता है। साथ ही टाइगर स्ट्राइक फोर्स में पदस्थ समस्त वन क्षेत्रपाल, उपवन क्षेत्रपाल व वनपाल को जिन्हें जांच हेतु अधिकृत किया गया है, साक्षियों को हाजिर होने के लिए समन जारी करने हेतु अधिकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

27/2/17

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 15–05/2017/10–2 भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय एवं क्षेत्र संचालक टाइगर रिजर्व, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय, मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल।
7. प्रभारी क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, होशंगाबाद/जबलपुर/सागर/सतना/इंदौर।
8. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

27/2/17

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग